

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक C/2502 /

जबलपुर, दिनांक 21/03/2025

श्रीमती दिलशाद जहाँ खान, सीनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट पदोन्नत ए.ओ. (जे), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर को दिनांक 16.12.2024 से 30.01.2025 तक 46 दिन में से दिनांक 30.01.2025 का एक दिन का सेवानिवृत्त पूर्व अर्जित अवकाश निरस्त किया गया।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार



(धरमिन्दर सिंह)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/2503 /

जबलपुर, दिनांक 21/03/2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक अवकाश/392 इंदौर दिनांक 01.02.2025 के संदर्भ में श्रीमती दिलशाद जहाँ खान, सीनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर का आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2025 संलग्न सहपत्र को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. ए.ओ. (जे) स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
5. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(हर्ष सिंह बहरावत)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)